न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–233/2018(जीसीएमएस नं. 2018/00256)

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति चौधरी निवासी ग्राम धनोकरा, पोस्ट कालवाडी, तहसील कठूमर जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

–– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री विजय सिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

निर्णय

दिनांकः 26.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम 1959, की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कठूमर जिला अलवर द्वारा दिनांक 10.07.2008 को निर्णय पारित किया गया था जिस निर्णय के अनुसार अपीलान्ट को धारा 345, 323 में दोषमुक्त किया गया व धारा 147 से परिविक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया है इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को किसी न्यायालय द्वारा सजा नही दी गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र चालान पेश होने की सूरत में ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि उसके निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कठूमर द्वारा दिनांक 10.07.2008 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को दोषमुक्त कर दिया था ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में दर्ज अभियोग संख्या 135/2008 व चार्जशीट नम्बर 110 दिनांक 27.06.2008 का कोई महत्व नही रहा जाता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का बिना मौका दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट का ना तो तलब किया और ना ही किसी प्रकार का नोटिस जारी कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जिससे अपीलान्ट न्याय से वंचित रहा और अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नही रख सका जिससे अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट एक शान्तिप्रिय व नेकचलन इन्सान है, इस तथ्य की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को करनी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही की और मात्र पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.04.2018 में अभियोग संख्या 135/2008 के कथन के आधार पर ही

P.T.O.

अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि पुलिस अधीक्षक अलवर ने भी अपनी रिपोर्ट अपूर्ण और गलत रूप से प्रस्तुत की है क्योंकि उक्त अभियोग का निर्णय तो पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से दस साल पूर्व ही हो चुका था और अपीलान्ट को उस अभियोग में दोषमुक्त भी किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा भी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपूर्ण पेश की गई जो काबिले विश्वसनीय नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें व अपीलान्ट के नाम विरासतन लाईसेन्स जारी किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 30.04.2018 के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 135/2008 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 पारित किया गया है जबकि पत्रावली के संलग्न न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कठूमर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 10.07.2002 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त प्रकरण संख्या 135/2008 का निर्णय अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रट अलवर के अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ही वर्ष 2008 में ही हो चुका था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 135/2008 के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही आ सके है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

26/12/22

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/12/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।